

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016/7 फाल्गुन, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तरः

(1) तारांकितः

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा
उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकितः

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा
पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

(1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति
सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (फस्ट अमेंडमेंट) रूल्ज़, 2016
जोकि अधिसूचना संख्या: का0(नि0-4)-ए(3) 1/2012-II
दिनांक 11.01.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में
दिनांक 12.01.2016 को प्रकाशित;
- (ii) सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम-XVI, 1860 के अन्तर्गत
हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12(विलम्ब के कारणों
सहित);

- (iii) सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम-XVI, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13(विलम्ब के कारणों सहित); और
 - (iv) सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम-XVI, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14(विलम्ब के कारणों सहित)।
- (2) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2015-2016 का प्रस्तुतीकरण:-
- श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत करेंगे।

शिमला-171 004
दिनांक: 25 फरवरी, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, को भी जांच कर लें)